>

Title: Need to provide dwelling units under Indira Awaas Yojana to all the eligible landless people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories as prescribed in the Scheme.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): इंदिरा आवास योजना भारत सरकार की अत्यंत कूंतिकारी एवं कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक गरीब बेघर लोगों को सिर ढकने के लिए मकान आवंटित किए गए हैं। योजना वर्ष 1985 में प्रारंभ की गई थी और नियमों में यह भी प्रावधान किया गया था कि कुल आवासों के आवंटन में 60 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवंटित किए जाएंगे। वर्ष 2002 में बेघर गरीब लोगों की सूची तैयार की गई थी, जिसके आधार पर आज तक इंदिरा आवास आवंटित किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सूची सही नहीं बनी थी, इसमें अमीर लोगों के नाम दर्ज हैं और सबसे अधिक गरीबों को सूची से बाहर रखा गया। सभी गरीब लोगों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। बहुत जगह वर्तमान सूची के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के नाम अवशेष नहीं है, जिसकी वजह से अब केवल सामान्य वर्ग के लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल नई सूची बनाई जानी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी भूमिहीन लोगों के नामों का समावेश किया जाए ताकि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर इंदिरा आवास सभी पात्र व्यक्तियों को आवंटित हो सके और सभी बेघर लोगों को इसका लाभ मिल सके।